



श्री जे. चन्द्रशेखर अय्यर
अध्यक्ष, के.ज.आ.



संदेश

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार ने उपलब्ध जल के संरक्षण, परिरक्षण और इष्टतम उपयोग के लिए प्रमुख रणनीतियों को लागू करने में सहायता प्राप्त करने के लिए, सेमिनार, सत्र और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रख्यात हितधारकों के साथ चर्चा, बातचीत करने, रणनीति बनाने हेतु भारत जल सप्ताह का आयोजन किया। 7वें भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) का आयोजन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष 1 से 5 नवंबर 2022 तक दिल्ली के इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर में किया गया था, जो एक शानदार सफलता थी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 01.11.2022 को उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में किया गया था। इस वर्ष भारत जल सप्ताह का विषय था “निष्पक्षता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा”। यह कार्यक्रम 05.11.2022 को समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसकी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने शोभा बढ़ाई। मुझे खुशी है कि केंद्रीय

जल आयोग के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक-सह-कार्यशाला क्रमशः 11.11.2022 और 19.11.2022 को पुणे और गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, ताकि पश्चिमी के साथ-साथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बांध मालिकों द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जा सके। आधिकारिक कार्य में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तीसरी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन के.ज.आ. द्वारा कोच्ची में 11.11.2022 को किया गया था, जिसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया था।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 29.11.2022 को सिंचाई, बहुउद्देश्यीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 151वीं बैठक आयोजित की गई थी। सलाहकार समिति द्वारा कुल छह परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकार किया गया।

मैं इस अवसर पर सभी नए सीडब्ल्यूईएस समूह-ए अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं जो अपने प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद केंद्रीय जल आयोग में शामिल हुए हैं। मैं सभी पाठकों को नव वर्ष में स्वस्थ और समृद्ध होने की कामना करता हूं।

श्री. चन्द्रशेखर

विषय सूची

- ट्रिप (डीआरआईपी)-II योजना और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक।
- फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और बिहार राज्य में इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन के लिए समिति की 8वीं बैठक
- द्वीय उच्चावक (हाइड्रोलिक होइस्ट) पर डिजाइन मैनुअल का अनावरण
- पंचनाड बैराज परियोजना के प्रस्तावित वैकल्पिक स्थानों के लिए के.ज.आ. डिजाइन निदेशालय, नई दिल्ली, के.ज.आ. योजना मंडल - फरीदाबाद और एकीकृत जल संसाधन विकास(आईजल संसाधन), उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का संयुक्त दौरा।
- जम्मू और कश्मीर में बगलिहार जल विद्युत परियोजना का के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा निरीक्षण
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण क्षेत्रीय समीक्षा बैठक-सह-कार्यशाला
- ट्रिप (डीआरआईपी) चरण-II के तहत मणिपुर जल संसाधन विभाग, केरल जल संसाधन विभाग और राजस्थान जल संसाधन विभाग के बांधों की निगरानी और क्यूसी का दौरा
- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर टीएसी की 151वीं बैठक
- एमएमआई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए लाभ लागत अनुपात और आरसीई पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर बैठक
- शाहपुरकंडी बांध परियोजना बैठक
- भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी
- "7वें भारत जल सप्ताह-2022 के दौरान "भारत की जल सुरक्षा"" साइड इवेंट पर सम्मेलन"
- वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना
- मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल और फ्लड प्लेन जोनिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए
- सीडीआरसी की 55वीं बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति - नवंबर 2022
- संविधान दिवस का आयोजन
- "भारत में जल प्रबंधन" विषय पर तृतीय तकनीकी संगोष्ठी
- सीडब्ल्यूईएस ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए 32वें आईटीपी
- नवंबर-2022 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि
- डेटा कॉर्नर- एक नजर में भारत के जल संसाधन
- इतिहास- डोवेश्वरम बैराज

अभिकल्प एवं अनुसंधान सकन्ध के तहत गतिविधियां

ड्रिप-II योजना और एनडीएसए मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक

ड्रिप-II योजना और एनडीएसए मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 18.10.2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में 18.11.2022

"फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और बिहार राज्य में इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" के लिए समिति की 8वीं बैठक

परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2022 को फरक्का बैराज के कारण बिहार राज्य में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन के लिए समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) और जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., जीएफसीसी, बिहार सरकार और एनआईएच पटना के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, परियोजना की अंतिम रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा की गई और समिति ने सलाहकार को कुछ सुधार करने की सिफारिश की और परियोजना को

"द्वीय उच्चांक (हाइड्रोलिक होइस्ट) पर डिजाइन मैनुअल" का अनावरण

डॉ. राकेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने 29.11.2022 को श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डीएंडआर), श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), श्री पीएम स्कॉट, सदस्य (आरएम) और के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जल संसाधन परियोजनाओं के द्वीय फाटक के संचालन के लिए "द्वीय उच्चांक पर डिजाइन मैनुअल" का अनावरण किया।

इस डिजाइन मैनुअल को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गेट्स डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू) निदेशालय के निदेशक श्री सतीश कंबोज द्वारा लिखा गया है। यह मैनुअल हाइड्रोलिक गेटों के संचालन के लिए हाइड्रोलिक होइस्टों की डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है। हाइड्रोलिक होइस्ट जिसमें सिलिंडर, पिस्टन और पावर पैक शामिल हैं, इसकी कम लागत के कारण योजनाकारों और डिजाइनरों का पहला विकल्प बन रहा है। अधिक पारंपरिक क्रेन और लिफ्टों के विपरीत, हाइड्रोलिक होइस्ट एक बड़े मोटरीकृत ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय तेल-आधारित पिस्टन तंत्र पर भरोसा करते हैं। इस पिस्टन तंत्र के कारण हाइड्रोलिक उत्तोलन अधिक बड़े भार उठा सकता है।

पंचनद बैराज परियोजना के प्रस्तावित वैकल्पिक स्थानों पर के.ज.आ. के अधिकारियों और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का संयुक्त दौरा

के.ज.आ. डिजाइन निदेशालय, नई दिल्ली, के.ज.आ. योजना सर्किल - फरीदाबाद के अधिकारियों की एक टीम ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से 09 से 11 नवंबर 2022 के दौरान पंचनद बैराज परियोजना के प्रस्तावित स्थानों का दौरा किया। यात्रा के दौरान, पीएफआर में दिए गए बैराज के सभी वैकल्पिक स्थानों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए निरीक्षण किया गया था और बैराज साइट के लिए तीन उपयुक्त स्थानों को चुना गया था। इससे पहले, वैकल्पिक स्थलों का पता लगाने के लिए 08.09.2022 से 10.09.2022 के दौरान के.ज.आ., फरीदाबाद और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, यूपी के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा एक टोह सर्वेक्षण किया गया था।

को एक बैठक आयोजित की गई थी। डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., मंत्रालय और विश्व बैंक के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।



15.12.2022 तक पूरा करने के लिए समय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।



इस मैनुअल में नदी घाटी परियोजनाओं में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए गेट्स के हाइड्रोलिक होइस्ट को डिजाइन करने में अपनाई जाने वाली डिजाइन प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऐसे उपकरणों के डिजाइन, संरचना और निर्माण के क्षेत्र से जुड़े अभियन्ताओं को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह मैनुअल संबंधित परियोजना डिजाइनरों, क्षेत्र अभियन्ताओं और अन्य तकनीकी व्यवसायियों के लिए एक तैयार संदर्भ होगा।



बगलिहार जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर का सुरक्षा निरीक्षण

श्री कयूम मोहम्मद, निदेशक (सीएमडीडी (एनडब्ल्यूएंडएस) के नेतृत्व में के.ज.आ. अधिकारियों की एक टीम ने श्री राकेश कुमार गौतम, उप-निदेशक, डीएसएम निदेशालय, सुश्री सचिन जैन, उप-निदेशक, यंत्रीकरण निदेशालय और श्री घनश्याम पटेल, सहायक निदेशक, गेट्स डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू) निदेशालय के साथ बांध के सुरक्षा निरीक्षण के लिए बागलिहार जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर का 15 से 17 नवंबर 2022 तक निरीक्षण किया। टीम ने बांध की समग्र सुरक्षा का आकलन करने के लिए बांध की उपरी संरचनाओं, यंत्रीकरण और हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरणों का निरीक्षण किया।



एनडीएसए द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठक-सह-कार्यशाला

पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीएसयू

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) द्वारा श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 11.11.2022 को पुणे में एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह समीक्षा बैठक पश्चिमी क्षेत्र के राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों / बांध मालिकों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा



संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., एनडीएसए के वरिष्ठ अधिकारियों और एससीडीएस/एसडीएसओ के प्रमुखों और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांध मालिकों ने भाग लिया।

पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / सीपीएसयू

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) द्वारा श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 19.11.2022 को गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह समीक्षा बैठक पूर्वी क्षेत्र के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों / बांध मालिकों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., एनडीएसए के वरिष्ठ अधिकारियों और



एससीडीएस/एसडीएसओ के प्रमुखों और पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांध मालिकों ने भाग लिया।

बांध की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्ट माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत करना

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट की गई बांध घटना पर साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट संकलित की जा रही है और माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत की जा रही है।

नवंबर के महीने में के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश में किसी भी बांध को नुकसान होने से संबंधित किसी घटना की सूचना नहीं दी गई थी।

बांधों के निरीक्षण पर साप्ताहिक रिपोर्ट

बांध निरीक्षण पर राज्यवार साप्ताहिक रिपोर्ट और राज्य बांध सुरक्षा समिति (एससीडीएस) एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन/स्थापना रिपोर्ट हर शुक्रवार को जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से पीएमओ को प्रस्तुत की जा रही है। 30.11.2022 तक, राज्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2022 में 5334 बड़े बांधों में से 3916 बांधों का मानसून

पूर्व निरीक्षण और 487 बांधों का मानसून के बाद निरीक्षण किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन/स्थापना करनी है। 30.11.2022 तक, सभी 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एससीडीएस का गठन किया है और एसडीएसओ की स्थापना की है।

डीआरआईपी चरण II के तहत मणिपुर जल संसाधन विभाग, केरल जल संसाधन विभाग और राजस्थान जल संसाधन विभाग के बांधों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण का दौरा

के.ज.आ. और केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 के दौरान मणिपुर जल संसाधन विभाग के सिंदा बांध और इम्फाल बैराज, 14 से 17 नवंबर 2022 के दौरान केरल जल संसाधन विभाग के कुट्टियादी बांध तथा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2022 के दौरान राजस्थान जल संसाधन विभाग के बिसलपुर और जवाई बांध की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण दौरा किया। डीआरआईपी के तहत चल रही पुनर्वास गतिविधियों के बारे में के.ज.आ. और केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला अधिकारियों को अवगत कराने के लिए प्रत्येक यात्रा से पहले ऑनलाइन ब्रीफिंग भी की गई थी। निष्पादन के तहत अन्य बांध पुनर्वास के ऐसे दौरे चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। इन दौरों के दौरान, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री



सीडब्ल्यूसी और सीएसएमआरएस अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा केरल डब्ल्यूआरडी के कुट्टियादी बांध का निरीक्षण

अनुसंधान शाला, नई दिल्ली को गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है और के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय निगरानी गतिविधियों की देखभाल करेंगे।

जल आयोजना एवं परियोजना स्कन्ध के तहत गतिविधियां

टीएसी की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर 151वीं बैठक

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 29.11.2022 को सिंचाई, बहुउद्देश्यीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 151वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ., गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, एमओटीए,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के.वि.प्रा., नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के अलावा तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बैठक में सलाहकार समिति द्वारा कुल 6 परियोजनाओं/योजनाओं स्वीकार किया गया था:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना का प्रकार	अनुमानित लागत	इच्छित लाभ
1	मुक्तेश्वर (चिन्ना कालेश्वरम) लिफ्ट सिंचाई योजना, मेजर, तेलंगाना	तेलंगाना	प्रमुख सिंचाई	मार्च 2021 पीएल में रु. 545.15 करोड़	सीसीए- 18211 हेक्टेयर बीसी अनुपात: 2.699
2	रुधा (चनक-कोरता) बैराज (मीडियम) - तेलंगाना और महाराष्ट्र की अंतर राज्य परियोजना	तेलंगाना और महाराष्ट्र	मध्यम सिंचाई	रु.452.50 करोड़ (तेलंगाना-409.44 और महाराष्ट्र-43.06)	सीए-6680 हेक्टेयर बीसी अनुपात: 1.848
3	चौटपल्ली हंमथ रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (मध्यम), निजामाबाद, तेलंगाना	तेलंगाना	मध्यम सिंचाई	रु. 48.207 करोड़	सीए-3359 हेक्टेयर बीसी अनुपात: 1.53
4	ब्लॉक और पीएस में 1830.00 मीटर की कुल लंबाई के लिए बीओपी एट्रोसिया और रेणु के एओआर में पद्मा नदी के दाहिने किनारे पर क्षरण रोधी कार्य - लालगोला, जिला - मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	बाढ़ नियंत्रण	रु. 73.8298	लाभान्वित जनसंख्या -35000 लाभान्वित क्षेत्र -2500 हेक्टेयर बीसी अनुपात-1.27
5	हस्तिनापुर, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दाहिने तट का निर्माण	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	रु. 73.3854 करोड़	जनसंख्या लाभान्वित - 7915 क्षेत्र लाभान्वित - 6672.20 हेक्टेयर बीसी अनुपात-8.85
6	जिला में सोलानी नदी के दाहिने किनारे पर पुरकाजी खादर में सीमांत बंड के निर्माण के लिए संरक्षण - मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	रु. 113.88 करोड़	जनसंख्या लाभान्वित - 17200 क्षेत्र लाभान्वित - 3425 एचए बीसी अनुपात- 2.70

एमएमआई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए लाभ लागत अनुपात और आरसीई पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर बैठक

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 16.11.2022 को "एमएमआई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लाभ लागत अनुपात की गणना और संशोधित लागत अनुमान प्रक्रिया की समीक्षा" के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ., आयुक्त (एसपीआर), आयुक्त (सीएडी) और निदेशक

(वित्त), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के साथ-साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, कार्यदल द्वारा सुझाए गए अधिकांश बिंदुओं को स्वीकार किया गया। इसके अलावा, कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं जैसे डीपीआर के हिस्से के रूप में आईआरआर की गणना, दिशानिर्देशों और एसओपी की तैयारी और दायरे में परिवर्तन के लिए मानदंडों के निर्धारण का सुझाव दिया गया था।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना बैठक

शाहपुरकंडी बांध परियोजना रवि नदी पर एक राष्ट्रीय परियोजना है। यह रंजीत सागर बांध के 11 किमी अनुप्रवाह और माधोपुर हेडवर्क्स के 8 किमी प्रतिप्रवाह में है। इसमें 55.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध, नदी के बाएं किनारे पर 7.70 किमी लंबा हाइडल चैनल व 2 प्रमुख नियामक, के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एक नियामक पंजाब में शाहपुरकंडी हाइडल चैनल (बाईं ओर) को पोषित करने और दूसरा नियामक जम्मू और कश्मीर में रवि नहर (दाईं ओर) को पोषित करने के लिए बनाया जाना है। इस परियोजना से 37173 हेक्टेयर (32173 हेक्टेयर जम्मू और कश्मीर में + 5000 हेक्टेयर पंजाब में) सिंचाई लाभ है और 206 मेगावाट (2x99 मेगावाट + 8 मेगावाट) की विद्युत क्षमता प्राप्त है।

परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति (अक्टूबर-2022)

- प्रमुख बांध की प्रगति - उत्खनन- 95.41% और कंक्रीटिंग- 81.08%,
- पावर हाउस की प्रगति- उत्खनन- 95.96% और कंक्रीटिंग- 1.60%।
- परियोजना पर कुल व्यय 1764.75 करोड़ रुपये है।
- राष्ट्रीय परियोजना के तहत जारी कुल केंद्रीय सहायता रु। 282.6498 करोड़
- परियोजना के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यू पी एंड पी) केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में शाहपुरकंडी बांध परियोजना (एसकेडीपी) के कार्यान्वयन

भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी

भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी); मार्च 2016 में ब्रसेल्स में 13वें यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ और भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 'एक भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) पर संयुक्त घोषणा' और यूरोपीय संघ और भारत सरकार के बीच अक्टूबर 2016 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है।

आईईडब्ल्यूपी का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ और उसके यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों दोनों के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाना है, जिसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के जल क्षेत्र में प्रचलित प्रथाओं, नियामक दृष्टिकोण, व्यावसायिक समाधान व अनुसंधान और नवाचार के अवसरों पर विचारों का आदान-प्रदान करना है। आईईडब्ल्यूपी का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ द्वारा जल संसाधनों के अधिक टिकाऊ प्रबंधन और बढ़ती जनसंख्या, प्रतिस्पर्धी जल मांगों और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल प्रबंधन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण में योगदान करना है।

आईईडब्ल्यूपी कार्रवाई चरण-2 (1 नवंबर 2020 - 31 अक्टूबर 2023) अपने चरण-1 (1 जुलाई 2017 - 30 सितंबर 2020) की सीख और उपलब्धियों पर आधारित है। चरण 2 में, आईईडब्ल्यूपी कार्रवाई चार विषयगत क्षेत्रों के माध्यम से लागू की जा रही है जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1) नदी बेसिन प्रबंधन: भारतीय दृष्टिकोण के साथ विलय की गई यूरोपीय संघ की अच्छी प्रथाओं के आधार पर भारत में नदी बेसिनों के समग्र प्रबंधन को बढ़ावा देना। इस कार्य क्षेत्र में, तापी आरबीएम योजना का



और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रगति पर चर्चा करने के लिए 16.11.2022 को निगरानी समिति की 9वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जम्मू और कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। आईबीओ, चंडीगढ़, के.ज.आ. के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में, पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। संविदात्मक एजेंसियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ शाहपुरकंडी बांध परियोजना की भौतिक प्रगति (घटक-वार) पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित लागत अनुमान और केंद्रीय सहायता प्रस्ताव की स्थिति की जांच पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा, पंजाब सरकार व जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

विवरण दिया जा रहा है और इसके उपायों के क्रमिक कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।

2) पर्यावरणीय प्रवाह आकलन: रामगंगा बेसिन का कार्य बेसिन की पारिस्थितिक जरूरतों का आकलन करने पर केंद्रित है और गंगा संरक्षण परियोजना के लिए भारत-जर्मन समर्थन के तहत ई-प्रवाह उपायों की पहचान के लिए हितधारकों की परामर्श प्रक्रिया में योगदान देता है।

3) सिंचाई और कुशल जल उपयोग: सिंचाई क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग का समर्थन करने के लिए सिंचाई दक्षता और प्रदर्शन के आकलन पर एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए गतिविधियों का अनुसरण किया जा रहा है और जिससे, पानी की कमी का मुकाबला किया जा सके।

4) उपचारित जल का सुरक्षित पुनः उपयोग (एसआरटीडब्ल्यू): इस क्षेत्र में कार्य का उद्देश्य एसआरटीडब्ल्यू पर संबंधित राष्ट्रीय ढांचे (आईईडब्ल्यूपी चरण 1 के तहत विकसित) को लागू करना और संबंधित व्यवसाय मॉडल विकसित करना है।

संक्षिप्त निष्कर्ष / सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. आईईडब्ल्यूपी की कार्रवाई तापी बेसिन (उपायों का कार्यक्रम-पीओएम) में 15 समस्याओं के निवारण के माध्यम से प्रमुख उपायों के सुविधाजनक कार्यान्वयन का समर्थन करेगी, जिसे फिर व्यावसायिक मामलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा एक समाधान मंच के माध्यम से की जाएगी। ये व्यावसायिक मामले यूरोपीय संघ के लघु मध्यम उद्यमों, भारतीय जल प्राधिकरणों और वित्तपोषण संगठनों के प्रासंगिक समूहों को प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि

संभवतः यूरोपीय संघ और भारत के बीच पारस्परिक रूप से लाभदायक व्यावसायिक सहयोग विकसित किया जा सके।

2. क्षितिज (Horizon)-2020 जल परियोजनाएं भारतीय जल क्षेत्र के लिए प्रासंगिक ऊर्जा दक्ष और कम लागत की प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करेंगी।

3. तकनीकी और सामाजिक रूप से उन्मुख नवीनीकरण को बढ़ावा देना के लिए जल क्षेत्र में समर्पित इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की सख्त जरूरत है, जिसे "जलशक्ति इनक्यूबेशन सेंटर" नाम दिया जा सकता है।

7वें भारत जल सप्ताह-2022 के दौरान अतिरिक्त आयोजन "भारत की जल सुरक्षा" पर निर्वाचिका सभा (कॉन्क्लेव)

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी समिति (INCID) ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग (ICID) के सहयोग से, 7 वें भारत जल सप्ताह के दौरान एक अतिरिक्त आयोजन के रूप में 1 और 2 नवंबर 2022 को "भारत की जल सुरक्षा" पर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न संबद्ध विषयों को संबोधित करके जल सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक तरीके से चर्चा करना था। विभिन्न सरकार के देश भर के विशेषज्ञ विभाग/एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान, शैक्षणिक संस्थान आदि जल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर भाग लेने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यक्रम में उपयोगी प्रस्तुतियां शामिल थीं और इसके बाद प्रतिभागियों के बीच समृद्ध चर्चाएं हुईं। सम्मेलन की चर्चा को अध्यायों के रूप में प्रकाशित करने की योजना है।

सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं से निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें सामने आई हैं:

1. नए ईआरएम प्रस्तावों में आधुनिकीकरण के घटक आवश्यक होंगे। तकनीकी-आर्थिक चरण के तहत सभी नई परियोजनाओं में जल उपयोग दक्षता पर विशिष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. भागीदारी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम और डब्ल्यूयूए हमारी नदियों के कार्याकल्प हेतु परिवर्तन लाने के वास्तविक प्रतिनिधि हो सकते हैं। डब्ल्यूयूए के गठन की अनिच्छा को दूर करने के लिए, डब्ल्यूयूए और किसानों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता विकास कार्यक्रम, समय की मांग है।

3. प्रत्येक मौसम विज्ञान उप-प्रभाग के भीतर प्रत्येक जिले में नए तालाबों/झीलों का निर्माण और मौजूदा तालाबों/झीलों का कार्याकल्प करना। प्रत्येक जिले में कम से कम पांच से 10 महत्वपूर्ण भंडारण क्षमता के तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए।

4. शहर की शहरी प्रबंधन योजना व जल सुधार योजना को साथ-साथ चलना चाहिए।

5. कार्याकल्प के लिए आवश्यक कार्यों पर निर्णय लेने में प्रणाली (सतह जल-भूजल परस्परता, आर्द्र भूमि पुनरुद्धार, सिंचाई कुशल तकनीक, आर्द्रभूमि-नदी संबंध) की विस्तृत समझ महत्वपूर्ण है।

6. देश में, सिंचाई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) का आकलन एक बड़ा काम है जिसके लिए वर्तमान संस्थागत क्षमता अपर्याप्त है। स्वतंत्र जल लेखा परीक्षकों के एक कैडर को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें उपयुक्त कौशल हो, जिन्हें परियोजना

4. "आईडब्ल्यूपी, क्षितिज (Horizon)- 2020 से प्रासंगिक तकनीकी सिफारिशों के प्रसार का समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी और इन्हें नियोजित समाधान मंच के भीतर चिह्नित भी करेगी। आईडब्ल्यूपी कार्रवाई का उद्देश्य क्षितिज 2020 परियोजनाओं से प्राप्त सीख को संभावित बाजार वृद्धि के लिए भारतीय भागीदारों और यूरोपीय संघ के व्यवसायों के लिए चिह्नित करना है।

5. साझेदारी का ध्यान मुख्य रूप से सभी चार विषयगत क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा।

प्राधिकरणों द्वारा डेटा संग्रह, विश्लेषण व अध्ययन करने और दक्षता बढ़ाने के उपयुक्त उपायों को खोजने के कार्यों में लगाया जा सके, जो ईआरएम परियोजनाओं के लिए आधार हो सकता है। उद्योगों और नगर निगमों की दक्षता अध्ययन करने के लिए अलग से भी जल लेखा परीक्षकों का कैडर विकसित किया जा सकता है।

7. जल संबंधी आपदाएं; राष्ट्रीय योजना की प्राथमिकता में होनी चाहिए क्योंकि उनकी आवृत्ति और परिमाण बढ़ रहा है।

8. जल सुरक्षा जोखिम को विभिन्न स्थानिक पैमानों पर प्रबंधित किया जाना: घर के भीतर से समुदाय, शहर, बेसिन और क्षेत्र तक।

9. प्रकृति आधारित समाधान-जैसे कि आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन, सदाबहार वृक्षों (मैंग्रोव) का संरक्षण, और बाढ़ के मैदानों को संरक्षित करना पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, और पानी से संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम कर सकता है। ये न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों परिणामों का समर्थन कर जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी दोहरी भूमिका निभा सकते हैं।

10. जल संसाधन प्रबंधन और बाढ़/सूखा प्रबंधन को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ-साथ चलना चाहिए।

11. क्षमता की अंतर्निहित कमी को दूर करने हेतु जल संसाधन कर्मियों के सीखने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था हेतु योजना तैयार की जानी है।

12. एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय तंत्र स्थापित करना जहां हितधारक जल प्रशासन प्रक्रिया में भाग ले सकें।

13. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) की पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से सहायता की जानी चाहिए। प्रत्येक जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) को भारत के सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर भारतीय नेटवर्क (भारत एनपीआईएम)/कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन(सीएडीडब्ल्यूएम)-के.ज.आ./राष्ट्रीय जल अकादमी(एन डब्ल्यूएम) से व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के साथ भी संबंध होना चाहिए।

14. जल क्षेत्र में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्य में शामिल विभिन्न संस्थानों के बीच एक संपर्क तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। यह प्रयासों को दोहराने से बचते हुए, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करके प्रयासों के तालमेल को बढ़ावा देगा। हमें जल क्षेत्र में प्रशिक्षकों को बढ़ाने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम की भी आवश्यकता है, जिसमें प्रमाणन पाठ्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल हो सकते हैं।

आरएम विंग के तहत गतिविधियां

वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना

श्री पी.एम.स्कॉट, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू), डेनमार्क दूतावास, एनएमसीजी और के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ 07.11.2022 को वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना के मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता की। सदस्य (आरएम) ने कहा कि बैठक के बाद, वरुणा नदी के कायाकल्प की परियोजना को लागू करने के तौर-तरीकों को एलजीबीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया

जाना चाहिए। इसे के.ज.आ. मुख्यालय, एनएमसीजी और डेनमार्क दूतावास के साथ साझा किया जाना चाहिए। उसके बाद, अगली कार्रवाई तय करने के लिए फिर से एक बैठक आयोजित की जा सकती है। विचार-विमर्श के बाद, डॉ. विकास दुबे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने समूह से कहा कि वे स्वयं अन्य संकाय सदस्यों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। उन्होंने एसएलसीआर की स्थापना के कार्यान्वयन में शामिल के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ एक बैठक का भी अनुरोध किया।

मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल और फ्लड प्लेन जोनिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) की बैठक

सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर) द्वारा दिनांक 18.11.2022 को फ्लड प्लेन जोन पर एक बैठक बुलाई गई थी। के.ज.आ. द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन किया गया। बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि सदस्य

(आरएम) की अध्यक्षता में बाढ़ मैदान क्षेत्र के लिए तकनीकी दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ.; सदस्य (आरएम); मुख्य अभियंता (एफएमओ) और निदेशक (नदी संरक्षण निदेशालय) ने भाग लिया।

सीडीआरसी की 55वीं बैठक

बैठक की तारीख	17.11.2022
विचार किए गए कुल मामले	06
वाणिज्यिक मामले	00
गैर वाणिज्यिक	06
समिति द्वारा अनुमोदित मामलों की संख्या	06

देश में बाढ़ की स्थिति - नवंबर 2022

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम घाटियों में 01.05.2022 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 01 मई से 30 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान, 11457 बाढ़ पूर्वानुमान (6779 स्तर और 4678 प्रवाह) जारी किए गए थे, जिनमें से 10767 (6476 स्तर और 4291 प्रवाह) पूर्वानुमान 93.97% की प्रतिशत सटीकता के साथ सटीकता की सीमा के भीतर थे। कोई लाल बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी नहीं किया गया और 2 नग जारी किए गए। ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) नवंबर 2022 के महीने में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जारी किए गए थे।

01.05.2022 से 30.11.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

अत्यधिक बाढ़ की स्थिति

ग्यारह एफएम स्टेशन ने इस दौरान अत्यधिक बाढ़ की स्थिति रही।

क्र. सं.	राज्य	जिला	नदी	स्थान	अवधि से	तक
1.	असम	नागॉन	कोपिली	कमपुर	15/05/2022	21/05/2022
2.					16/06/2022	22/06/2022
3.	बिहार	किशनगंज	महानंद	ताड़बपुर	29/06/2022	29/06/2022
4.		सुपौल	कोसी	बसआ	02/08/2022	02/08/2022
5.	तेलंगाना	सिवां	घाघरा	दरौली	14/10/2022	16/10/2022
6.		भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022	15/07/2022
7.		कुमारम्भीम	वर्धा	सिरपुर (टी)	14/07/2022	17/07/2022
8.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारामा राजू	सबरी	चिटूरु	15/07/2022	19/07/2022
9.	राजस्थान	कराउली	चंबल	मंडलीय	25/08/2022	25/08/2022
10.		धौलपुर	चंबल	धौलपुर	25/08/2022	26/08/2022
11.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	राप्ती	बलरामपुर	08/10/2022	13/10/2022
		सिद्धार्थनगर	राप्ती	बंसी	14/10/2022	19/10/2022

80 बाढ़ निगरानी केंद्र ने अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी।

एफएम स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थिति

95 एफएम स्टेशनों ने असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी



क्षेत्र दिल्ली और गुजरात राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति मनाई।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक में 46 एफएफ स्टेशनों ने सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर देखा।

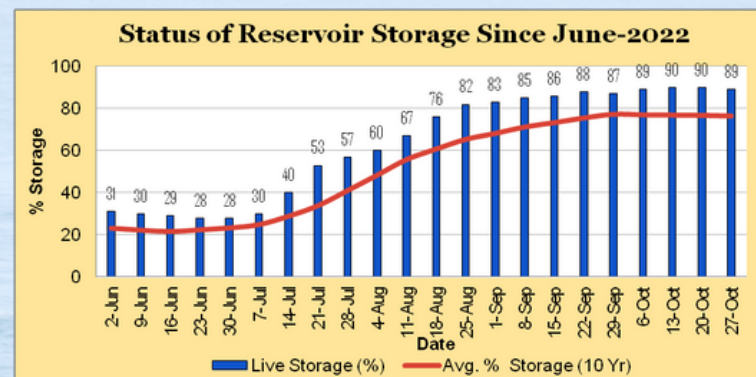
जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से, 46 जलाशयों से 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जलविद्युत लाभ है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बिलियन घन मी. है, जो 257.812 बिलियन घन मी. की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है और अनुमानित देश में ही सृजित की गई है।

दिनांक 24.11.2022 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 149.490 बिलियन घन मी. है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 84% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 140.948 बिलियन घन मी. था और पिछले 10 वर्षों का औसत सजीव भंडारण 125.880

प्रारम्भिक सीमा से अधिक आवक वाले रिजर्व

86 जलाशयों को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपनी सीमा से अधिक प्रवाह प्राप्त हुआ।



बिलियन घन मी. था। इस प्रकार, दिनांक 24.11.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 106% और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 119% है।

30.11.2022 को योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्ट: के.ज.आ. के घटक के लिए)

क्र.सं.	योजना/घटक का नाम	बीई(2022-23)	व्यय	व्यय(%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली (डीडब्ल्यूआरआईएस) का विकास	185.00	104.249	56.35%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईजल संसाधन)	08.000	6.6359	82.95%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	6.2740	27.04%
4.	निदेश और प्रशासन (डी एंड ए)- प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	4.7532	42.63%
5.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एन.एच.पी.)	44.37 (RE)	11.612	26.17%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	1.02	1.02%

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियां

Water Sector-News

- जल पर टिका देश के शहरों का कल (दैनिक जागरण, 03.11.2022)
- भारत जल सप्ताह — तैयारी : नहर निगरानी से पानी की बर्बादी रुकेगी (हिन्दुस्तान, 04.11.2022)
- देश में सिर्फ पांच फीसदी जल का ही पुनः इस्तेमाल (हिन्दुस्तान, 06.11.2022)
- बर्फ तेजी से पिघली तो गंगा—यमुना की धरती पर जल संकट की आशंका (हिन्दुस्तान, 08.11.2022)
- भीषण बाढ़ से दुनियाभर में इस साल 2.77 करोड़ बच्चे प्रभावित (राजस्थान पत्रिका, 11.11.2022)
- यूपी के 25 हजार नलों — हैंडपंपों का पानी पीने लायक नहीं (हरिभूमि, 13.11.2022)
- जलाशयों के संबंध में जल्द लागू कराई जाएगी नई नीति (द पायनीर, 16.11.2022)
- बांध से पाइप के जरिये सीधे किसान के खेतों में पहुंचा पानी तो खपत हुई आधी (दैनिक जागरण, 23.11.2022)
- जल चुनौतियों के मुद्दे पर भारत व आस्ट्रेलिया एक साथ (राष्ट्रीय सहारा, 24.11.2022)
- जल जीवन मिशन ने दी ग्रामीण पेयजल प्रदाय को नई दिशा (राजस्थान पत्रिका, 30.11.2022)

संविधान दिवस का आयोजन

26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था जिसकी स्मृति में हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस वर्ष यह कार्यक्रम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय जल आयोग-मुख्यालय के अधिकारी/कर्मचारी कोविड-प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए एकत्र हुए और प्रस्तावना को पढ़ने में भाग लिया गया। के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसका पालन किया गया।



“भारत में जल प्रबंधन” विषय पर तृतीय तकनीकी संगोष्ठी

केंद्रीय जल आयोग (मु.) द्वारा 11.11.2022 को कोच्चि में हिन्दी में तृतीय तकनीकी संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय ‘भारत में जल प्रबंधन’ था। इस एक पूर्ण दिवसीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सदस्य, नदी प्रबंध, श्री पी.एम. स्कॉट थे।

श्रीमती रजिन्दर पॉल, उप निदेशक (राजभाषा) ने के.ज.आ. में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हुई निरंतर बढ़ोत्तरी का उल्लेख करते हुए सभी कार्मिकों को भविष्य में भी अपना सरकारी कार्य सरल व सहज हिन्दी में करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता, कोयंबतूर, श्री आदित्य शर्मा, मुख्य अभियंता, भोपाल, श्री डी. रंगा रेड्डी, मुख्य अभियंता, हैदराबाद ने भी जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राजभाषा हिन्दी में प्रकाश डाला। तत्पश्चात, मुख्य अतिथि महोदय ने सभी वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्याख्यानों को संकलित कर हिन्दी अनुभाग द्वारा तैयार की गई ‘स्मारिका’ का विमोचन किया। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने सम्बोधन में सभी प्रतिभागियों से अपना अधिक से अधिक सरकारी काम हिन्दी में करने का आह्वान



किया तथा जल प्रबंधन के विषय में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी से सभी को अवगत कराया।

इस तकनीकी संगोष्ठी में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। विभिन्न क्षेत्रीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधि एवं मीडियाकर्मी भी संगोष्ठी में उपस्थित रहे।

केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा समूह ए अधिकारियों के लिए 32वें आईटीपी को पूरा करना

केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा (सीडब्ल्यूईएस) ग्रुप ए अधिकारियों के लिए 32वें प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) का समापन सत्र 07.11.2022 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अध्यक्ष, के.ज.आ. और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कुल 15 नए अधिकारियों ने 32-सप्ताह लंबे आईटीपी में भाग लिया जो 28.03.2022 को शुरू हुआ और इसमें सैंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं का दौरा शामिल था। इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कार और समापन प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

हीराकुंड बांध का दौरा



नवंबर-2022 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षु की प्रति पाठ्यक्रम संख्या	श्रेणी
1	एमसीटीपी स्तर 4- एसएजी के लिए (आईआईएम अहमदाबाद में एक सप्ताह)	14-18 नवम्बर 2022	10	संवर्ग
2	कनिष्ठ अभियंताओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच 1)	14 नवंबर-02 दिसंबर 22	39	संवर्ग
3	भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों पर वेबिनार	25 नवंबर 2022	195	गैर तकनीकी
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1959 पर कार्यशाला	30 नवंबर 2022	85	गैर तकनीकी

डेटा कॉर्नर- एक नजर में भारत के जल संसाधन

क्रम सं.	मद	मात्रा	यूनिट
1	2	3	4
1	भौगोलिक क्षेत्र	328.74	मिलियन हे.
2	वार्षिक वर्षा (2020)	1,290	मिमी
3	प्रमुख नदी बेसिन (अंतरिक्ष इनपुट, जून, 2019 का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार)	20	संख्या
4	प्रमुख नदी घाटियों का जलग्रहण क्षेत्र (जून, 2019 तक)	32,71,953	वर्ग किमी
5	औसत वार्षिक वर्षा	3,880	बिलियन घन मी.
6	मानसून के दौरान औसत वर्षा (जून से सितंबर)	2,500	मिमी
7	औसत वार्षिक प्रवाह (अंतरिक्ष इनपुट, जून, 2019 का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार)	1,999.20	बिलियन घन मी.
8	अनुमानित उपयोग योग्य सतही जल संसाधन	690	बिलियन घन मी.
9	कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (भूजल संसाधन आकलन, 2017 के अनुसार)	436	बिलियन घन मी.
10	कुल वार्षिक उपयोग योग्य जल संसाधन	1,126	बिलियन घन मी.
11	प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (2011 जनगणना)	1,545	घनमी./ प्रतिवर्ष
12	सकल सिंचाई क्षेत्र (2016-17)	98,148	हजार हेक्ट
13	निवल सिंचित क्षेत्र (2016-17)	68,649	हजार हेक्ट
14	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार पहचानी गई क्षमता (25 मेगावाट से अधिक) (31.03.2021 तक)	1,45,320	मेगावाट
15	परिचालन में क्षमता (25 मेगावाट से अधिक) (31.03.2021 तक)	41,423.6	मेगावाट
16	पूरा किए गए बड़े बांध (27.06.2019 तक)	5,334	संख्या
17	प्रमुख नदी घाटियों की पूर्ण परियोजनाओं की लाइव भंडारण क्षमता	257.812	बिलियन घन मी.

स्रोत: बेसिन योजना-निदेशालय, बांध सुरक्षा प्रबंधन निदेशालय, के.ज.आ. के जल प्रबंधन निदेशालय; 'एक नजर 2021 में जल संसाधन', के.ज.आ.; केंद्रीय भूजल बोर्ड; 'भारत वन राज्य रिपोर्ट 2019', भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

गैलरी



"नागपुर, महाराष्ट्र में एग्रो विजन-2022 प्रदर्शनी"



भूटान सरकार (आरजीओबी) के प्रतिनिधियों के साथ बीबीओ, के.ज.आ., गुवाहाटी में भारत यात्रा के दौरान जल-मौसम विज्ञान डेटा साझा करने के साधनों पर चर्चा।



बाढ़ 2023 से पहले किए जाने वाले बाढ़ संरक्षण/क्षरण रोधी कार्यों की सिफारिश के लिए गंडक नदी (यूपी भाग) और जीएच भाग (बिहार भाग) के साथ पीपी तटबंध के नदी बेसिन का निरीक्षण करने के लिए 22.11.2022 को बिहार, उप्र, सरकार, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) के वरिष्ठ जल संसाधन अधिकारियों ने गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति (जीएचएसएससी) का दौरा किया।

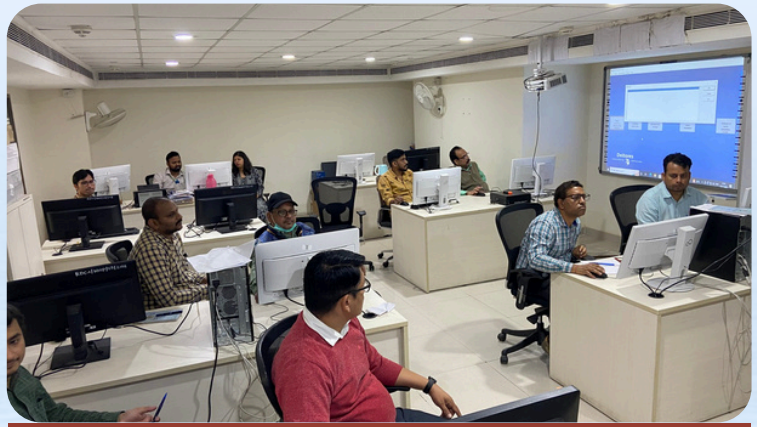
इतिहास- डॉवलेश्वरम बैराज

नदी

गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिमी घाटों से पूर्वी घाटों, दक्कन के पठार और घने दंडकारण्य वन तक बहती है, अंत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। त्र्यंबक में भगवान त्र्यंबकेश्वर के चरणों में एक धारा से शुरू होकर, पश्चिमी घाट में नदी धीरे-धीरे आकार में बढ़ती जाती है जब तक कि यह डोवेश्वरम में लगभग 6.5 किमी (4 मील) चौड़ी नहीं हो जाती, जहां से पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के समृद्ध डेल्टा पथ शुरू होते हैं। इसके 1450 किमी (900 मील) के मार्ग में त्र्यंबक, नासिक, कुस्तापुर, धर्मपुरी, भद्राचलम, राजामुंद्री और कोटिपल्ली जैसे पवित्र स्थल ऐसे जड़े हुए हैं जैसे माला में मोती। पवित्र स्थलों पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, विशेष रूप से पुष्करम के दौरान, जो बारह वर्षों में एक बार आता है। इसके ऊपरी भाग में नदी को कभी-कभी दक्षिण गंगा या वृद्ध (बूढ़ी) गंगा कहा जाता है। उत्तरार्द्ध नाम वास्तव में उपयुक्त है, क्योंकि गोदावरी भू-वैज्ञानिक रूप से गंगा से अधिक प्राचीन है। लगभग 314000 वर्ग किमी (121200 वर्ग मील) की जल निकासी करने वाली महान गोदावरी में लाभकारी विकास की अपार संभावनाएं हैं।

पुराना गोदावरी एनीकट

दक्कन के पठार की नदियाँ आमतौर पर अपवर्तन वियरों द्वारा सिंचाई के लिए बहुत गहरे चैनलों में बहती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रेट रॉयल इंजीनियर, सर आर्थर कॉटन, जिन्होंने डॉवलेश्वरम में एनीकट (वियर) की आवश्यकता की कल्पना की और इसे 1848 और 1852 के बीच बड़ी बाधाओं के खिलाफ उत्साहपूर्वक निष्पादित किया। यह एनीकट केवल 124000 हेक्टेयर (306400 एकड़) क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु बनाया गया था लेकिन यह इतना फायदेमंद साबित हुआ कि आज सभी अपेक्षाओं से परे अयाकट ने 445000 हेक्टेयर (10.1 लाख एकड़) के विशाल क्षेत्र में विस्तार किया है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी डेल्टा में व्यापक इलाकों को नाममात्र लागत पर सिंचित करने के लिए इस प्रकार निष्पादित कार्य ने उस क्षेत्र में इतनी समृद्धि पैदा कर दी है कि सर आर्थर कॉटन की आज एक महान परोपकारी के रूप में पूजा की जाती है। डेल्टा में गोदावरी की चार भुजाओं में फैला ये विशाल वियर एक सदी की सेवा के बाद अपनी उपयोगिता को रेखांकित करा पाया है। इसे प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, क्योंकि मूल अनुमान से परे विकसित



बेसिन योजना और प्रबंधन संगठन के अधिकारियों की आंतरिक क्षमता निर्माण दिशा में, श्री ऋषि श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (BPMO) के मार्गदर्शन में RIBASIM/रिबासिम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (15.11.2022 से 16.11.2022) मॉडलिंग सेंटर, बेसिन योजना और प्रबंधन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

अयाकट ने नहरों को पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए साइट पर उच्च जल स्तर को आवश्यक कर दिया है। एनीकट पर अतिरिक्त तनाव ने एनीकट के मूल्यहास को तेज कर दिया है।

पुराने के स्थान पर नया

इसकी वर्तमान संरचना की स्थिति में ताल के उच्चतर स्तर को बनाए रखने का सवाल अप्रसांगिक हो गया है। एप्रन को हो रहा नुकसान और कमजोर होती नींव चिंता का विषय है। संरचनाओं को सहारा देने वाले ईंट के कुओं की सच्चाई भी उच्च बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान से उजागर हो गई। जगह-जगह पर उनकी पपड़ी उखड़ रही हैं और टूट रही हैं। योजना के तहत सिंचाई संरक्षण का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ समिति ने एनीकट की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और उनका यह दृढ़ मत है कि उच्चतर ताल स्तर के लिए वर्तमान एनीकट के ऊपर से एक नया बैराज बनाना आवश्यक है, ताकि, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक पूरे अयाकट में प्रत्यारोपण को सक्षम किया जा सके। वर्तमान नहर प्रणाली को पोलावरम बैराज से जोड़ने के लिए आवश्यक लिंक नहरों की अत्यधिक लागत को ध्यान में रखते हुए, गोदावरी एनीकट के अंतर्गत बने अयाकट के अलावा, कुछ अतिरिक्त अयाकट को पूरा करने के लिए पोलावरम के 48 किमी (30 मील) प्रतिप्रवाह में एक स्वतंत्र बैराज के निर्माण का प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। इसलिए, समिति ने मौजूदा एनीकट के ठीक ऊपर की ओर एक बैराज के तत्काल निर्माण की सिफारिश की ताकि वर्तमान एनीकट में किसी भी दरार को होने से रोका जा सके और पूरे अयाकट में समय पर प्रत्यारोपण सुनिश्चित किया जा सके।

गोदावरी बैराज

प्रस्तावित बैराज में, मौजूदा एनीकट जो द्वीपों द्वारा विभाजित नदी की चार धाराओं पर चार खंडों में निर्मित किया गया है के पैटर्न को बारीकी से अपनाया गया है। संरचना, नींव से 16.5 मीटर (54 फीट) ऊपर है। नया बैराज जो पुराने एनीकट के लगभग 40 मीटर (131 फीट) प्रतिप्रवाह में है, अपने स्थान विशेष के कारण, बैराज को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। एनीकट बैराज के निर्माण के लिए काफी रचनात्मक सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे कि वर्तमान ताल स्तर 12.73 मीटर (41.75 फीट) की तुलना में, नया बैराज 13.65 मीटर (44.75 फीट) का जल स्तर बनाए रखेगा ताकि हर साल जुलाई के अंत तक पूरे अयाकट में

